—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 89/2021

उनवान

1. चम्पालाल पुत्र धूलचन्द मृतक जरियें वारिस
1/1. सन्तोष पत्नी चम्पालाल
1/2. भागचन्द्र पुत्र चम्पालाल
1/3. मन्जू देवी पुत्री चम्पालाल
1/4. जसराज पुत्र चम्पालाल
2. बिसराम उर्फ बसराम पुत्र धूलचन्द
3. रतनी देवी पत्नी प्रभुलाल उर्फ प्रभुदयाल
4. घेवरचन्द पुत्र प्रभुलाल उर्फ प्रभुदयाल
5. धनश्याम पुत्र प्रभुलाल उर्फ प्रभुदयाल
6. कान्ता पुत्री प्रभुलाल उर्फ प्रभुदयाल
7. मन्शा पुत्री प्रभुलाल उर्फ प्रभुदयाल
8. प्रेमबाई पत्नी सेवाराम उर्फ शिवजी
9. हेमराज पुत्र सेवाराम उर्फ शिवजी
10. राजकिशोर पुत्र सेवाराम उर्फ शिवजी
11. राजेश पुत्र सेवाराम उर्फ शिवजी समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खापरी, राजोसी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 18.2.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवला की डांग, राजोसी के हाल खसरा नम्बर 2548/5592, 2560, 2561, 2569 व 2573 की आराजी वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है। उक्त आराजी के मूल खातेदार चम्पालाल पुत्र धूलचन्द के सथान पर चम्पालाल पुत्र गोरधन, विसराम उर्फ बसराम पुत्र धूलचन्द के स्थान पर विसराम पुत्र गोरधन अंकित कर दिया है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 से 7 के पिता प्रभुलाल पुत्र धूलचन्द के स्थान पर गणपतलाल पुत्र गोरधन व वादी संख्या 8 से 11 के पिता शिवजी पुत्र धूलचन्द के स्थान पर से[illegible] गोरधन अंकित कर दिया है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज बंदोबस्त [illegible] राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया है। अतः आराजी [illegible] का हाल इन्द्राज दुरूस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जावे। वादीगण के हक में खातेदारी उद्घोषणा जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र के अनुसार वादीगण के नाम दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होते है।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवला की डांग, राजोसी के हाल खसरा नम्बर 2548/5592, 2560, 2561, 2569 व 2573 की आराजी वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है। उक्त आराजी के मूल खातेदार चम्पालाल पुत्र धूलचन्द के सथान पर चम्पालाल पुत्र गोरधन, विसराम उर्फ बसराम पुत्र धूलचन्द के स्थान पर विसराम पुत्र गोरधन अंकित कर दिया है। इसी प्रकार वादी संख्या 3 से 7 के पिता प्रभुलाल पुत्र धूलचन्द के स्थान पर गणपतलाल पुत्र गोरधन व वादी संख्या 8 से 11 के पिता शिवजी पुत्र धूलचन्द के स्थान पर सेवाराम पुत्र गोरधन अंकित कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। वादीगण के हक में खातेदारी उद्घोषणा जारी की जावे। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड, बिजजली का बिल इत्यादि पेश किये है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज किस प्रकार त्रुटिपूर्ण हुआ तथा आराजी मुतनाजा पर वादीगण को हित किस प्रकार प्राप्त हुये है यह वादीगण ने स्पष्ट नही किया है। पूर्व राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पिता का तथा स्वयं का नाम सही अंकित होने के समर्थन में साबिक राजस्व अभिलेख भी पेश नही किये है। वादीगण ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किस नामान्तकरण से उनके/पूर्वज के नाम अंकित हुआ। वादीगण द्वारा हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताते हुये इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है किन्तु पूर्व राजस्व अभिलेख व साक्ष्य के अभाव में वाद के कथनों की ताईद नही होती है। वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में जो परिवर्तन चाहा है वह लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नही आता है। वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार देवला की डांग, राजोसी के हाल खसरा नम्बर 2548/5592, 2560, 2561, 2569 व 2573 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

चम्पालाल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 89/2021
पेश करने की दिनांक – 02.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

देवला की डांग, राजोसी के हाल खसरा नम्बर 2548/5592, 2560, 2561, 2569 व 2573 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested